



**राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०य०एल०एम०) उ०प्र०**  
**(राज्य नगरीय विकास अभिकरण— सूडा, उ.प्र.)**

प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक— २६१ / २४१ / एन०य०एल०एम० / तीन / २००१ / EST&P(SDI)AB-Vol-II

दिनांक— २२/३/१६



सेवा मे

**१. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**

जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।

**२. नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर**

नगर निगम—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।

**३. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,**

शहर— लोनी, मोदीनगर, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़, बदायूँ बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्बल, चौसी, शिकोहाबाद, मुगलसराय, बडौत, बागपत, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, औरैया, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चित्रकूट धामकर्वी, दादरी (गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, बिजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ, प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, रार्बटसगंज (सोनभद्र), अमेठी, ज्ञानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा भिनगा (श्रावस्ती)।

**विषय— EST&P के अन्तर्गत MIS पर प्रशिक्षणार्थियों के बैच को क्लोज करने के संबंध में।**

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के उपरान्त MIS पर उस बैच को क्लोज किये जाने का प्रावधान है, जिससे भारत सरकार/राज्य सरकार/शहर के MIS पर प्रशिक्षण समाप्त हो चुके प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रदर्शित होगी। उपरोक्त के संबंध में पत्रांक—3223 / २४१ / NULM/TEEN/2001/EST&P(SDI)AB, दिनांक 20.11.2015 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

संज्ञान में आ रहा है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STP) के द्वारा बिना बैच क्लोज किये प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट कराया जा रहा है जोकि नियमानुसार गलत है। यह निर्देशित किया जाता है कि बिना MIS पर बैच क्लोज किये प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट नहीं कराया जाये।

उपरोक्त के संबंध में दूड़ा/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को निर्देशित किया जाता है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से अनिवार्य रूप से असेसमेंट से पूर्व MIS पर बैच क्लोज कराया जाये ताकि प्रशिक्षण समाप्त हो चुके प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रदर्शित हो सके।

उक्त के संबंध में शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशन निदेशक

प्रतिलिपि—

- सचिव, नगर विकास / नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन।
- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- समस्त पी०ओ० / ए०पी०ओ०, जिला नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०।
- समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर।
- निविदा के माध्यम से इम्पैनल्ड समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को बैच क्लोज किये जाने हेतु।
- वेव मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

मिशन निदेशक